पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International
Since 1983

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 26, अंक 3/2025

ओवरस्पीड

शहरी परिवहन नीति में सुरक्षा व गतिशीलता को प्राथमिकता दी जाए

तेज रफ्तार ले रही जान, हमारी नीतियां कहां चूक रही हैं?

भारत में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु-दर की वृद्धि गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। हाल में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी की गई सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत में हुई कुल मौतों में से 68 फीसदी मृत्यु तेज गति (ओवरस्पीड) के कारण हुई।

वर्तमान में गति सीमा का निर्धारण प्रायः निर्धारित गति सीमा के आधार पर किया जाता है। इसलिए भारतीय संदर्भ में गति सीमा निर्धारण की वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा करना आवश्यक है। परंपरागत रूप से किसी सड़क की गति सीमा (जो सामान्यतः उसकी डिजाइन गति से संबद्ध होती है) सड़क की कार्यात्मक श्रेणी एवं भौगोलिक स्थिति (मैदानी, ढलवां, पर्वतीय अथवा तीव्र ढलान) को ध्यान में रखकर तय की जाती है। भारतीय सड़क कांग्रेस की ओर से विभिन्न प्रकार की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों के लिए डिजाइन गति का निर्धारण किया गया है।

भारतीय सड़क कांग्रेस ने यह अनुशंसा की है कि जहां सड़क इंजीनियरिंग संबंधी बाधाओं (जैसे दृष्टि दूरी का अभाव, तीव्र मोड़ आदि) के कारण डिजाइन गति पर यातायात संचालन सुरक्षित नहीं हो सकता, वहां गति सीमा को अपेक्षाकृत कम निर्धारित किया जाए। तथापि, केवल सड़क इंजीनियरिंग मानदड़ों के आधार पर गति सीमा का निर्धारण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहनों की विशेषताएं (आयाम, पावर-टू-वेट अनुपात, त्वरक/मंदन क्षमता आदि) भिन्न-भिन्न है। इसी कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पृथक-पृथक सुरक्षित गति सीमाएं अनुशंसित की गई है।

भारतीय सड़क कांग्रेस की ओर से विद्यालय और बाजार क्षेत्र जैसे कुछ विशेष भू-उपयोग क्षेत्रों के लिए पृथक गति सीमा का प्रावधान किया गया है, तथापि अभी तक एक समग्र दृष्टिकोण से सड़क इंजीनियरिंग, यातायात इंजीनियरिंग एवं सड़क परिवेश (भूमि उपयोग, सड़क किनारे की गतिविधियां, ऑन-स्ट्रीट पार्किंग, लेन अनुशासन का अभाव, मिश्रित यातायात) को ध्यान में रखकर सुरक्षित गति सीमा का निर्धारण, सड़क मृत्यु-दर में कमी लाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। शहरी भारत में सुरक्षित व यथार्थवादी गति सीमा का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय सड़क कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि महानगरीय क्षेत्रों में शहरी सड़कों की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वाहन की गति 50 किमी/घंटा से अधिक न हो। किंतु वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में अधिकतम अनुमेय गति सीमा 70 किमी/घंटा निर्धारित की है। भारतीय दोपहिया चालकों में हेलमेट का उपयोग अत्यंत कम है और जहां उपयोग होता भी है, वहां अक्सर हेलमेट निम्न-गुणवत्ता के होते हैं अथवा उचित रूप से बांधे नहीं जाते। फलस्वरूप सिर की चोट से मृत्यु की आशंका अत्यधिक रहती है।

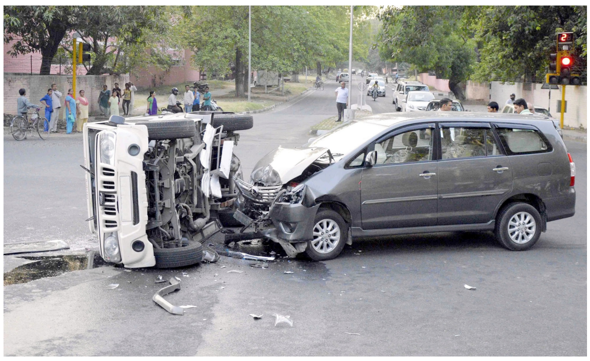

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी गति प्रबंधन को सुदृढ़ करने और तेज गति से वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शहरी परिवहन नीति में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवं गतिशीलता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रदीप एस महता
महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल

इस अंक में...

राज्य के निजी विश्वविद्यालयों पर मॉनिटरिंग नहीं?. 3
आबकारी विभाग पर बकाया का बोझ.................. 4
मेक इन इंडिया को दें बढ़ावा 7
अक्षय ऊर्जा के जरिए ऊंची उड़ान 8
तेज रफ्तार : एक चालक...104 चालान 11

जनता की शक्ति से ही मिलता है सरकार को अधिकार! इसे कायम रखने के लिए आप हैं जिम्मेदार!!

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित

भारतीय रिजर्व बैंक और 'कट्स' इंटरनेशनल के सहयोग से सोशल सर्विस सोसायटी बीजोवा द्वारा पाली में एक दिवसीय जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यशाला एक निजी होटल के सभा भवन में महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक भागीरथ चौधरी, महिला एवं बाल विकास के उपनिदेशक राजेश शर्मा एवं नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य के.सी.सैनी के सानिद्ध में संपन्न हुई।

'कट्स' के कार्यक्रम अधिकारी राजदीप पारीक ने कार्यशाला के उद्देश्य, आवश्यकता एवं उपभोक्ता के अधिकारों की जानकारी देते हुए बैंक चार्टर के बारे में बताया। कार्यशाला में देवेन्द्र कुमार जोशी ने बैंक जमाकर्ताओं की शंकाओं को दूर करते हुए बैंक बचत खातों की आवश्यकता उसके फायदे तथा नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में जोधपुर से आए अशोक व्यास ने विभिन्न जमा खाता योजनाओं की जानकारी देते हुए केवाईसी की आवश्यकता, एटीएम के उपयोग, पास बुक तथा बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताया।

कार्यशाला में एसबीआइ पाली के मेनेजर प्रदीप कुमार नोटिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण, सब्सिडी की श्रेणी, बैंक लॉकर आदि के नियमों की जानकारी देते हुए महिलाओं के सामने आ रही वित्तीय समस्याओं पर उठे मुद्दों पर जानकारी दी और प्रतिभागियों के सवालों का निराकरण किया। कार्यशाला में कीर्तिपाल सिंह काबावत , सहायक आचार्य (विधि), राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली ने अपने उद्बोधन में साइबर अपराधों के बदलते स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए उनसे बचाव के तरीकों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने बैंकिंग लोकपाल योजना 2021 के तहत शिकायत करने की प्रक्रिया व दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में भी बताया। संस्था के अध्यक्ष डॉ. राजकमल पारीक ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई तथा सभी प्रतिभागियों एवं अतिथियों का प्रतीक के रूप में 'एक पौधा मां के नाम' देकर स्वागत किया। कार्यशाला में राजकुमार लखवानी, लेखराज देवासी, कमलेश जैन, जयंत सोलंकी ने भी अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम में करीब 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई से बढ़ेगा किसानों का फायदा

इस बार जिले के किसानों के लिए रबी सीजन नई दिशा लेकर आया है। मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई को केंद्र सरकार के विशेष कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल फसलों की विविधता बढ़ेगी, बल्कि किसानों को नवाचार अपनाने का अवसर भी मिलेगा।

प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद के आवरी माता मंदिर परिसर में आयोजित जागरूकता बैठक में यह जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम धारियावाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ के सहयोग से हुआ।

समन्वयक मदन गिरि गोस्वामी ने बताया कि हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स (इक्रीसेट) और भारत सरकार के नेशनल ऑयल सीड मिशन के तहत पूरे देश में इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में इसके अंतर्गत 400 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई की जाएगी। परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को मूंगफली और सूरजमुखी दोनों फसलों का बीज निःशुल्क दिया जाएगा। 'कट्स' जयपुर के राजदीप पारीक ने बताया कि इच्छुक किसान एक-एक हेक्टेयर में बुवाई कर सकेंगे। उन्हें खेत तैयार करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृषि विज्ञान केंद्र की देखरेख में पूरा संचालन होगा। बुवाई से पूर्व खेत की मिट्टी का सैंपल परीक्षण और जिओ टेकिंग की जाएगी, ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। बैठक में 17 महिलाओं सहित 150 किसानों ने भाग लेकर सहमति जताई।

गरीबों का गेहूं हड़पा, अब होगी वसूली

राज्य सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र नहीं हैं और गेहूं उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से वसूली किए जाने का फैसला किया है।

उधर, गिव अप योजना की तारीख भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। ताकि, अपात्र लोगों को अपने नाम हटाने का मौका मिल सके। वरना, एक नवंबर के बाद जो भी अपात्र रहेंगे उनसे वसूली शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही अपात्र लोगों की सूची बनाकर उनके नाम सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस भी दिएजिएंगे।

(दै.भा., 06.09.25)

अपात्रों ने उठाई गरीबों की पेंशन

सरकारी ऑडिट में राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्यभर में 3.12 लाख अपात्र लोग गरीबों के हक की पेंशन उठाकर खा गए। इससे सरकारी खजाने को 318 करोड़ रुपए की चपत लगी है।

इन 3.12 लाख अपात्रों में लोग या तो मृत थे या पुनर्विवाह कर चुके थे। यह आंकड़ा इस सच्चाई को उजागर करता है कि जमीनी स्तर पर पात्रता की निगरानी लगभग निष्क्रिय पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोटाला सिस्टम की निष्क्रियता से ही संभव हुआ है। यदि समय पर मृत्यु रजिस्ट्रेशन, पुनर्विवाह सूचना और ई-केवाईसी को पेंशन सिस्टम से जोड़ा जाता, तो यह अनियमितता रोकी जा सकती थी। अब चुनौती यह है कि रकम कैसे व किस हद तक वसूली जा सकेगी।

(दै.भा., 13.07.25)

ईडी की मनमानी पर उठते रहे हैं सवाल

पैसे के हेरफेर यानी धनशोधन (पीएमएलए) मामलों की जांच के लिए चर्चित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों व जमानतें नहीं मिलने से भले ही घोटालेबाजों का पसीना छूटता हो, लेकिन मुकदमें के बाद सजा दिलाने में जांच एजेंसी का रेकॉर्ड अच्छा नहीं है।

पिछले साढे दस साल (जनवरी 2015 से जून 2025 तक) में देश में अदालतों ने पीएमएलए के केवल 8 मामलों में दोषसिद्ध ठहराकर केवल 15 लोगों को सजा सुनाई। ईडी ने इस अवधि में 5892 मामलों की जांच की पर केवल 1398 मामलों में अभियोजन पक्ष की शिकायतें दर्ज की गई है। अभियोजन शिकायत से आशय है कि जांच एजेंसी की ओर से की गई तहकीकात में से 1398 मामलों में केस दर्ज योग्य तथ्य मिले। कई मामलों में ईडी की कार्यशैली पर कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की है।

(रा.प., 01.08.25)

उच्च शिक्षा में क्यों पिछड़ा प्रदेश?

देश की उच्च शिक्षा में राजस्थान लगातार पिछड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल ईस्टीट्यूशनल रेंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) 2025 में प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया। सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय के पास नैक ग्रेड होने के बावजूद वह सूची से बाहर है।

प्रदेश के केवल चार संस्थान ओवरऑल श्रेणी में शामिल हुए हैं। पिलानी स्थित बिट्स पिलानी को 16वीं, आइआइटी जोधपुर को 66वीं, एमएनआइटी जयपुर को 77वीं और मणिपाल यूनिवर्सिटी को 98वी रैंक मिली है। हालांकि चारों संस्थानों की स्थिति पहले से सुधरी है। मेडिकल श्रेणी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर ने पिछली बार से चार स्थान बेहतर कर 43वीं रेंक हासिल की। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पिछली बार की तुलना में सुधार आया है। *(रा.प., 06.09.25)*

परिवहन विभाग का बड़ा खेल...

प्रदेश के परिवहन विभाग में थ्री डिजिट के वीआइपी नंबरों को बैकलॉग करने और फिर उन्हें महंगे दामों में बेचने का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। विभाग की ओर से तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट में करीब 500 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई है।

इस पूरे खेल में विभाग के 450 से अधिक आरटीओ, डीटीओ, बाबू और सूचना सहायकों का शामिल होना पाया गया है। इतना ही नहीं, फर्जीवाड़ा छुपाने के लिए आरटीओ कार्यालयों से रिकॉर्ड भी गायब करा दिया। गौरतलब यह है कि सांसद, विधायक, अफसरों और उद्योगपतियों ने भी ऐसे वाहनों के नंबर खरीदे। पत्रिका ने किया खुलासा तो सभी आरटीओ कार्यालयों की जांच में यह पोल खुली। परिवहन आयुक्त ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है।

(रा.प., 06.07.25)

राज्य के निजी विश्वविद्यालयों पर मॉनिटरिंग नहीं?

राजस्थान में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सरकार के पास इनको नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग ने निजी विश्वविद्यालयों के सिद्धांतों को औपचारिक स्वीकृति नहीं दी है। इसके चलते निजी विश्वविद्यालयों के मानक तय नहीं हो पाए हैं।

आलम यह है कि राज्य सरकार की ओर से अब तक इन विश्वविद्यालयों की न तो कोई ऑडिट की गई है और न ही वे अपनी जरूरी जानकारी सार्वजनिक बेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के खिलाफ हैं। उच्च शिक्षा विभाग से निगरानी नहीं होने से निजी विश्वविद्यालयों में कई बड़ी गड़बडियां सामने आ चुकी हैं। मसलन, कोटा के जिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की ओर से यूजीसी नियमों की पालना नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र आने के बाद राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों को लेकर हरकत में आई। *(रा.प., 31.08.25)*

आबकारी विभाग पर बकाया का बोझ

प्रदेश में शराब बेचकर राजस्व जुटाने वाले आबकारी विभाग में पुराने बकाया का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ठेकेदारों का करीब 22 सौ करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। सरकार की एमनेस्टी योजना व कई तरह की स्कीम के बावजूद शराब का ठेका लेने वाले बकाएदार सेठ सामने नहीं आ रहे हैं।

अधिकारी वसूली के बजाय तर्क दे रहे हैं कि ये वे ठेकेदार थे, जिनके पास न पूंजी है न संपत्ति। इसलिए वसूली में दिक्कत आ रही है और वसूली मुश्किल है। प्रदेशभर में 2181.58 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। सबसे ज्यादा अलवर जिले में 166.45 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर जयपुर सिटी है जिसमें 164.46 करोड़ रुपए और तीसरे स्थान पर जोधपुर है जहां 158.64 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं।

(रा.प., 17.09.25)

फसल बीमाः फायदे में बीमा कंपनी

केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के फायदे के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, लेकिन प्रदेश में इससे किसानों को कम फायदा मिल रहा है। मुआवजे के नियमों में पेचीदगी के चलते किसानों को किस्त राशि के बराबर भी क्लेम नहीं मिल रहा है।

हकीकत यह है कि पिछले 6 साल में किसानों व सरकार ने 28683 करोड़ रुपए बीमा किस्त जमा कराई, लेकिन किसानों को सिर्फ 21184 करोड़ ही क्लेम मिला। यानी, बीमा कंपनियों को 7499 करोड़ का फायदा हुआ। किसान बीमा कंपनियों के नियमों के फेर में उलझ रहे हैं, जिससे उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा। *(दै.भा., 22.09.25)*

अपात्रों के खातों में पहुंची सम्मान निधि

प्रदेश के जालोर जिले में 33 हजार 638 अपात्र किसानों के खातों में 13 करोड़ 94 लाख 12 हजार रुपए बतौर पीएम किसान सम्मान निधि के जमा होते रहे। यह सब जालौर तहसीलदार की आईडी से हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन के बाद पटवारी, तहसीलदार या उपखंड अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाता है।

मामले के तहत जालोर कोतवाली में कलेक्टर के निर्देश पर केस दर्ज कराया गया है। दर्ज मामले के अनुसार जालोर तहसील क्षेत्र में गलत तथ्यों के आधार पर या तथ्य छिपाकर अपात्र व्यक्तियों ने सरकारी धन हड़पने की नीयत से योजना में पंजीयन कराया। इससे अपात्रों के खातों में राशि हस्तांतरित हुई। एफआइआर में आईडी हैक कर दुरुपयोग का भी शक है। इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। *(दै.भा., 23.07.25)*

बिना जांच पड़ताल के किया भुगतान

चंबल की आधी अधूरी 40 किलोमीटर लंबी नहर के 64 करोड़ रुपए का भुगतान अधिकारियों ने बिना जांच पड़ताल के ही कर दिया। मौके पर जो काम हुआ ही नहीं वह भी पूरा होना बता दिया। इटावा के फतेहपुरा से बागली खातौली तक बनी इस नहर के निर्माण में करीब छह साल लगे।

ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सीसी लाइनिंग का कार्य भी कई स्थानों पर नहीं होने के बावजूद भी पूर्ण होना बता दिया गया। डॉवल और कॉलर-पटरा के कच्चे काम को भी पक्का बता दिया गया। नहर का स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भास्कर ने मौका देखा तो कमांड ऐरिया डपवलमेंट के इस पूरे काम की पोल खुल गई। बिना काम के ही ठेकेदार को भुगतान करने की पोल खुल गई। बिना काम के अधूरे काम के बिल पास कर दिए गए। जो काम मशीनों से कराया जाना था वह भी मजदूरों से कराया गया। काम में करीब 5 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला सामने आया। गड़बड़ियों की अब जांच चल रही है।

(दै.भा., 17.09.25)

आरओ प्लांटः खारा पानी नहीं हुआ मीठा

बाड़मेर के चौहटन व गुड़ामालानी क्षेत्र में ग्रामीणों को खारे पानी को फिल्टर करके मीठे पानी की सप्लाई के लिए बनाए गए 236 में से 217 आरओ का 21 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान पीएचईडी अधिकारियों ने संबंधित फर्म को कर दिया, लेकिन वे शुरू ही नहीं हो पाए।

इन आरो प्लांट से न तो ग्रामीणों को मीठा पानी मिला और न ही इन्हें पानी फिल्टर के लिए काम में लिया गया। प्रत्येक आरओ प्लांट 2 टन वजन के आईएसओ 668 फीट लम्बे कंटेनर से बनना था, लेकिन घटिया टीन शेड के होने से आरो के ढांचे आंधी में उड़ गए। अधिकारियों की मिलीभगत और गड़बड़ियों के चलते यह घोटाला सामने आया है। इससे ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। आरो प्लांट शुरू हुए बिना इतनी बड़ी राशि का भुगतान कई सवाल खड़े करता है। *(दै.भा., 31.08.25)*

राज्यों का कर्ज बढ़कर हुआ तीन गुना

भारत में राज्यों का कर्ज 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ गया है। यह जानकारी भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की समीक्षा में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सभी 28 राज्यों का कुल सार्वजनिक खर्च 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया।

राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले कर्ज का हिस्सा 2013-14 में 16.66% था, जो 2022-23 तक 23% हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक, आठ राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी उनके जीएसडीपी के 30% से अधिक थी। इसमें सबसे आगे पंजाब है। इसके बाद नागालैंड और पश्चिम बंगाल का नंबर है। छह राज्यों की ऋण देनदारी उनके जीएसडीपी के 20% से कम थी और शेष 14 राज्यों की देनदारी जीएसडीपी के 20% से 30% के बीच थी। *(रा.प., 21.09.25)*

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा

सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर जारी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एनआईएफ) प्रगति रिपोर्ट 2025 ने टिकाऊ विकास के लिए भारत की तस्वीर साफ कर दी है।

रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले एक दशक में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां दर्ज की है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य व्यय जैसे क्षेत्रों में अब भी ठोस प्रयासों की दरकार है। स्वास्थ्य अनुसंधान पर खर्च 400 प्रतिशत बढ़ा है, पर समग्र शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय घटा है। गरीबी उन्मूलन में भारत ने अहम कदम बढ़ाए हैं। रिपोर्ट साफ संदेश देती है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए भारत को अपनी रणनीति में तेजी, समावेशिता और स्पष्टता लानी होगी। *(रा.प., 01.07.25)*

तेजी से बढ़ रही है भारत में अमीरी

हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक देश में हर 20 मिनट में एक नया करोड़पति परिवार जुड़ रहा है। जिन भारतीय परिवारों की नेटवर्थ कम से कम एक मिलियन डॉलर यानी 8.5 करोड़ रुपए है, उनकी संख्या वर्ष 2021 में लगभग 4.58 लाख रुपए थी, जो अब 2025 में बढ़कर 8.71 लाख हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक चार साल में करोड़पति परिवारों की संख्या 90% से अधिक बढ़ी है। यानी लगभग दोगुनी हो गई। अब देश के 0.31% घराने मिलियनेयर कैटेगरी (करोड़पति) में आते हैं। जब कि 2021 में यह आंकड़ा महज 0.17% था। वहीं 2017 से 2025 के आंकड़ों को देखें, तो देश में करोड़पति परिवारों की संख्या में 445% का इजाफा हुआ है। *(रा.प., 19.09.25)*

प्रदेश में लगाए 10.21 करोड़ पौधे

प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। प्रदेश में अब तक 2.75 लाख जगहों पर 10.21 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अभियान के दौरान प्रदेशभर में 55 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं।

हरियालो राजस्थान में 20 लाख हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया है। अब तक 37 लाख 51 हजार पौधे व्यक्तिगत स्तर पर तथा 9 करोड़ 83 लाख पौधे ब्लॉक स्तर पर लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग 3 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाकर सबसे आगे रहा। ग्रामीण विकास विभाग 2 करोड़ 65 लाख पौधे लगा कर दूसरे एवं वन विभाग 2 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाकर तीसरे स्थान पर है। *(दै.भा. एवं रा.प., 20.08.25)*

पराली से तैयार हो रहा कागज

किसानों और पर्यावरण के लिए समस्या बनी पराली से अब कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का कागज तैयार हो रहा है। इस नवाचार से जयपुर स्थित सांगानेर में कागज बनाने वाले अच्छा लाभ उठा रहे हैं। यहां की कागज निर्माता इकाइयां किसानों से सस्ती कीमत पर पराली खरीद कर उसे प्रोसेस कर कागज तैयार कर रही है।

खास बात यह है कि पराली से बना यह कागज न केवल देश के बाजार में, बल्कि यूरोप, यूएसए, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। इस कागज की क्वालिटी मजबूत और टिकाऊ है। यही वजह है कि विदेशों से इसके ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। *(रा.प., 23.09.25)*

प्रदेश के गांव बनेंगे गरीबी मुक्त

प्रदेश में गांवों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' शुरू की है। पहले चरण में राज्य के 5002 गांवों में कुल 30,631 बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों के चयनित परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

इनमें 22,400 ऐसे परिवार हैं, जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इनके बैंक खातों में सम्मान स्वरूप 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही इन परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप 'आत्मनिर्भर परिवार कार्ड' भी प्रदान किए जाएंगे। योजना में सरकार की अन्य योजनाओं का भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि गांवों का समग्र विकास हो सके। *(रा.प.एवं दै.भा., 03.07.25)*

उगेगी छिलका रहित जौ की फसल

जयपुर जिले में दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने छिलका रहित जौ की चार नई किस्म तैयार की है। जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण के अंतिम पायदान पर है। यह परीक्षण अगले रबी सीजन 2025-26 में किया जाएगा।

इस परीक्षण में सफल होने के बाद इसे राष्ट्रीय किस्म चयन समिति में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। देश में पहले से मौजूद किस्म की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत अधिक उपज देने और गुणवत्ता जांच में उत्तम पाए जाने पर ही राष्ट्रीय किस्म चयन समिति में अनुमोदन होगा। हालांकि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि इन किस्मों का स्थानीय स्तर पर परीक्षण हो चुका है और ये हर पैरामीटर पर खरी उतरेंगी। *(रा.प., 21.09.25)*

भ्रष्टाचार करता है व्यवस्था को खोखला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि चेहरा कितना ही साफ हो, लेकिन गलत काम के धब्बे हमेशा दिख जाते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है, जो व्यवस्था को खोखला करती है। सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार होने के कारण अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सहायता और योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच पाता है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के 68वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान एसीबी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान मेरा काम है, लेकिन प्रदेश की 8 करोड़ जनता की समस्याओं का समाधान करना आपका काम है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आकार बढ़ता जा रहा है। युवा अपने हक की लड़ाई लड़ता है, लेकिन सरकारी योजनाएं फाइलों में दब जाती है। इस अवसर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि निर्णयों को लंबित रखना ही भ्रष्टाचार की जड़ है। ई-फाइलिंग के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जून में 723 फाइलों का निस्तारण किया, जिसमें एक फाइल के निस्तारण में औसत 24 मिनट लगे। उन्होंने कहा कि जब मैं यह कर रहा हूं, तो अन्य विभागों के एचओडी क्यों नहीं कर सकते। एक-एक फाइल पर दर्ज हो कि यह किसके पास कितने मिनट या कितने घंटे रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जिक्र करते हुए कहा कि भारत निचले पायदान पर है। जो अत्यंत चिंता का विषय है। अन्य राज्य राजस्थान एसीबी की कार्यप्रणाली सीखने के लिए यहां आते हैं। एसीबी ने अपनी इंटरनल विजिलेंस को मजबूत किया है। लोक सेवकों का भ्रष्टाचार शासन के प्रति विश्वास को खत्म कर देता है।

(रा.प., 16.07.25)

भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों से आए 37 प्रकरणों का भी निस्तारण किया। इन 37 प्रकरणों में कुल 55 अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले लंबित थे। माना जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

हालांकि, सरकार ने कानूनी पेचीदगियों के चलते अभी तक किसी भी अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने अक्षमता, अकर्मण्यता तथा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुए 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर राज्य सेवा से बाहर किया है। उन्होंने कार्मिकों की कार्यशैली, कार्यक्षमता, सत्यनिष्ठा की विभागीय जांच करवाकर 9 कार्मिकों के प्रकरणों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी करवाई है। इसके अलावा 13 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है।

(रा.प., 07.08.25)

जीएसटी चोरी का मास्टरमाइंड दबोचा

जीएसटी चोरी के एक बड़े मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड महेंद्र खंडेलवाल को पकड़ने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने अनोखी रणनीति बनाई। विभाग के अपने दो इंसपेक्टरों को कैटरिंग स्टाफ बनाकर आरोपी के ससुराल में आयोजित कार्यक्रम में भेजा गया।

निवारू रोड पर हुई दावत में जब मास्टरमाइंड आया तो टीम ने तुरंत पहचान कर सूचना दी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विभाग के मुख्यआयुक्त कुमार पाल गौतम के अनुसार अधिकारियों द्वारा की गई जांच में खंडेलवाल की कई फर्मों की जांच में 9 करोड़ 59 लाख रुपए के करीब टैक्स चोरी का मामला था। उसने दिल्ली, आगरा और उत्तरप्रदेश की बोगस फर्मों से बिल खरीदे और इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित फायदा लिया। ई-वे बिलों की जांच में पाया गया कि जिन वाहनों के नंबर दर्ज थे, वे वास्तव में कभी भी फर्मों के गौदाम तक पहुंचे ही नहीं।... *(दै.भा., 17.09.25)*

भ्रष्टाचार की बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली गई राशि	स्त्रोत
जयपुर	सुरेश बैरवा बलदेव चौधरी	कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम	60,000	रा.प., 01.07.25
उदयपुर	आशीष कुमार डामोर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सीएमएचओ कार्यालय	1,50,000	रा.प., 05.07.25
जयपुर	नवनीत जोशी चन्द्रपाल सिंह	कमांडेंट, होमगार्ड विभाग कंपनी कमांडर, होमगार्ड विभाग	25,000	दै.भा., 08.07.25
चित्तौडगढ़	महेन्द्र सिंह जगदीश मेनारिया	नारकोटिक्स इंस्पेक्टर (उज्जैन में तैनात) दलाल	3,00,000	दै.भा., 19.07.25
सीकर	रामचंद्र कमल कुमार बुनकर	सहायक लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान दलाल	40,000 60,000	दै.भा., 14.08.25
जयपुर	नारायण वर्मा	निरीक्षक, सकारी समिति	2,75,000	रा.प., 15.08.25
चूरू	राकेश धायल	वरिष्ठ सहायक, राजगढ़ नगर पालिका	1,90,000	दै.भा., 18.09.25
भरतपुर	मुकेश कुमार देवी सिंह	रीडर, उपखण्ड कार्यालय (डीग) डीग एसडीएम, उपखण्ड कार्यालय	80,000	रा.प., 20.09.25

जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में बदलावों की घोषणा की थी, उन्हें जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। काउंसिल की 56वीं बैठक में हुए मंथन के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे।

वित्तमंत्री ने बताया कि 28% और 12% स्लेब खत्म कर दिए गए हैं और इनके दायरे में जो आइटम थे, उन्हें 5% और 18% में मर्ज कर दिया है। इससे आम उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिसका सभी को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, इन ऐतिहासिक फैसलों से आम जनता, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं व युवाओं को लाभ होगा। ये सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और खासतौर पर छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

(दै.भा. एवं रा.प., 04.09.25)

शुरू होगी धन-धान्य कृषि योजना

देश के 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना अक्टूबर से शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। योजना में 6 वर्ष तक सालाना 24 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से लागू किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय भी बढ़ाएगी। भंडारण और सिंचाई सुविधाएं सुधरेंगी। किसानों को आसानी से कर्ज मिलेगा और स्थानीय स्तर पर कमाई के रास्ते बनाए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनेंगी। प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना की निगरानी हर महीने होगी। निगरानी 117 प्रमुख इंडिकेटर्स के जरिए की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा करेगा। *(दै.भा., 17.07.25)*

औद्योगिक हब की तरफ बढ़ रहा प्रदेश

राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) के तहत 2300 निवेशकों को 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी कर दी गई है। उद्योग विभाग का दावा है कि यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 293 प्रतिशत ज्यादा है।

इस भुगतान से जहां मौजूदा प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी, वहीं कतार में खड़े नए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ने की उम्मीद है। उद्योगपतियों के अनुसार समय पर राशि नहीं मिलने से मशीनरी खरीद, उत्पादन विस्तार , तकनीकी अपग्रेडेशन में दिक्कत आती रही है। बकाया इंसेंटिव और सब्सिडी समय पर मिलती रहे तो राजस्थान में इकोनॉमी का बूस्ट अप और तेजी से होगा। *(रा.प., 10.08.25)*

विकास की नींव होगी मजबूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण धरातल के विकास की नींव को मजबूत बनाने के लिए देश की 2.68 लाख ग्राम पंचायतों को हाईटेक करने का बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पूरे देश में ग्राम पंचायतों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की निगरानी में लिया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों की बैठकों की मॉनिटरिंग व डाटा एनालिसिस के लिए एआई फीचर्स लागू होंगे। इसके तहत बैठकों के पूरे मिनिट्स एआई से रिकार्ड होकर फाइनल होंगे। ई-ऑफिस की तर्ज पर ही पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम रहेगा। इससे स्थानीय स्तर की गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। पंचायतीराज मंत्रालय ने एनआईसी के सहयोग से इसे तैयार किया है। यह काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। ग्राम पंचायतों पर एआई फीचर्स लागू करना आधुनिक डिजिटल इंडिया के लिए बड़ा कदम होगा। *(रा.प., 15.08.25)*

प्रदेश के गांवों में बनेंगे अटल प्रगति पथ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांवों के विकास की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रदेश में 249 गांवों में अटल प्रगति पथों के निर्माण की स्वीकृति जारी की है। गांवों में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से बनने वाले इन प्रगति पथों से ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद और कच्चा माल बड़े शहरों और कस्बों तक आसानी से पहुंच सकेगा।

प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में व द्वितीय चरण में 5 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले गांवों में सीमेंट कंक्रीट से बनने वाले इन प्रगति पथों का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। ये अटल प्रगति पथ गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे गांवों के विकास में तेजी आएगी। *(दै.भा., 14.09.25)*

मेक इन इंडिया को दें बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आह्वान किया है कि वे संकल्प लें कि हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना है।

उन्होंने ट्रम्प टैरिफ वॉर के बीच अमरीका को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम उन वस्तुओं को खरीदेंगे, जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, तो सामने आता है कि दुनिया के सभी देश अपने-अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा। *(रा.प.एवं दै.भा., 03.08.25)*

प्रदेश परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में होगा अग्रणी

ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की 'पावर' बढ़ती जा रही है। प्रदेश अक्षय ऊर्जा में देश में पहले नंबर पर रहने के बाद अब न्यूक्लियर ऊर्जा (परमाणु बिजली) में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 52 साल बाद रावतभाटा के बाद बांसवाड़ा में दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है।

इसके पूरा होने और रावतभाटा में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद प्रदेश कीर न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 6680 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदेश के अन्य जिलों में भी संभावना तलाश कर रहा है। खास यह है कि परमाणु बिजली प्रोजेक्ट के संचालन के लिए यूरेनियम और भारी पानी की जरूरत होती है। प्रदेश के सीकर जिले के खंडेला में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इसी तरह उदयपुर, दौसा, सीकर जिले में कई इलाकों में भी खोज चल रही है। इससे प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में पावर हब बनने की गहरी उम्मीद है। *(रा.प., 20.09.25)*

घाटा धटाओ नहीं तो होगा एक्शन

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की उच्चस्तीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिजली वितरण में सुधार और लॉस कम करने पर तुरंत काम करें। उन्होंने कहा कि हर सब डिविजन और सर्कल का निरीक्षण होगा।

उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि विद्युत लॉस कम नहीं हुए तो जिम्मेदार अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब हर स्थिति में ऐसे अफसरों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर समस्याओं का निराकरण करने और लंबित कनेक्शनों की समयबद्ध सूची समाप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। *(रा.प., 28.08.25)*

पीएम कुसुम योजना में प्रदेश अग्रणी

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान में 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। पिछले एक वर्ष में 1190 मेगावाट के 592 प्लांट लगे हैं।

कुसुम योजना में प्रदेश में जयपुर डिस्कॉम में 169.22 मेगावाट, जोधपुर डिस्कॉम में 997.50 मेगावाट तथा अजमेर डिस्कॉम में 137.33 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल के बाद राजस्थान पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए में अग्रणी तो कम्पोनेंट-सी में तीसरे स्थान पर है। कम्पोनेंट-ए में 457 मेगावाट के प्लांट अकेले राजस्थान में हैं। प्रदेश सौर ऊर्जा के साथ-साथ विकेंद्रित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश का प्रमुख हब बनकर उभर रहा है। *(दै.भा., 21-.07.25)*

बढ़ते उपभोक्ता, पस्त होता बिजली तंत्र

जयपुर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। अजमेर रोड, दिल्ली रोड़ व आगरा रोड क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है। कॉलांनियां बस रही हैं वैसे ही बिजली व प्रसारण तंत्र पर लोड बढ़ता जा रहा है। पुराने बिजली तंत्र पर अकेले जयपुर शहर में ही 10 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं का भार है।

अब हाल यह है कि गर्मी में लोड नहीं झेलने के कारण ट्रांसफार्मर धधकने लगते हैं तो बारिश होने के बाद शहर में बिजली गुल होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी बारिश के दौरान केबल जलने की समस्याएं सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं की संख्या के के आगे प्रसारण तंत्र पस्त नजर आने लगा है। *(रा.प., 25.08.25)*

प्रदेश में थम नहीं रही बिजली चोरी

प्रदेश में बिजली चोरी का सिलसिला थम ही नहीं रहा। पिछले सवा साल में ही 35 हजार लोगों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी कर ली। वसूली केवल एक चौथाई राशि की ही हो सकी है। चोरी हुई बिजली का भार बिजली टेरिफ दर में जुड़ रहा है। इससे ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है।

इससे डिस्कॉम की आर्थिक कमर भी टूट रही है और घाटा बढ़ता ही जा रहा है। बिजली चोरी रोकने में प्रभावी निगरानी और कार्रवाई का अभाव साफ नजर आता है। मिलीभगत की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बिजली कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अनाधिकृत उपयोग व बिजली समस्याओं के समाधान के लिए कमेटियां भी बनी हैं लेकिन समाधान की जगह उपभोक्ता दलालों के फेर मे उलझकर रह जाते हैं। *(रा.प., 02.07.25,03.08.25)*

तीन लाख करोड़ का निवेश

अक्षय ऊर्जा के जरिए ऊंची उड़ान

अक्षय ऊर्जा में पूरे देश में सिरमौर राजस्थान में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में विदेश का पहला बड़ा निवेश हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) प्रदेश में तीन लाख करोड़ के निवेश से 60 हजार मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट लगाएगा। केंद्र सरकार यूएई के साथ हुए एमओयू को राजस्थान की ओर डायवर्ट कर रही है।

यह न केवल ऊर्जा क्षेत्र, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

यूएई सरकार बड़ी रणनीतिक योजना के तहत मसौदा तैयार कर रही है। संभव है इसमें भारतीय कंपनी को भी अपने साथ जोड़े और खुद निवेशक पार्टनर के रूप में काम करे। यह प्रोजेक्ट राज्य की वर्तमान अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता से कई गुना अधिक है। इससे राजस्थान विश्व में सौर और पवन ऊर्जा का बड़ा हब बनेगा। हमारे लिए यह एक अवसर है, लेकिन कई चुनौतियां भी सामने हैं। *(रा.प., 16.07.25)*

ईसरदा-दौसा प्रोजेक्ट से पेयजल

ईसरदा- दौसा प्रोजेक्ट में 6.27 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट में 302 गांवों की 5.58 लाख आबादी और लालसोट की 69 हजार आबादी को नलों से पानी सप्लाई होगा। लालसोट कस्बे में 350 करोड़ रुपए की लागत से 8 जलाशयों, 5 पंपहाउस और 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा।

इसमें 280 किलोमीटर राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर वीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा के डूंगरपुर गांव में ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना के तीसरे पैकेज का शिलान्यास किया। इस योजना के तहत इस पैकेज का काम 2027 तक पूरा हो जाएगा। *(दै.भा., 05.08.25)*

नल कनेक्शन-सिंगल विंडो सुविधा शुरू

आमजन की जरूरत वाले बिजली निगम और जलदाय विभाग महकमे डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेशभर में उपभोक्ताओं को अब जल कनेक्शन के लिए दस्तावेज लेकर जलदाय विभागीय दफ्तरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जल कनेक्शन अब एसएसओ आईडी से ऑनलाइन आवेदन करने पर ही दिया जाएगा। यही नहीं, नल कनेक्शन के लिए रोड कटिंग की परमिशन का झंझट भी खत्म होगा। आवेदन से लेकर कनेक्शन देने, रोड कटिंग और वापस रिपेयरिंग तक की प्रक्रिया जलदाय विभाग की टीम करेगी। इसके लिए जलदाय विभाग उपभोक्ता से निर्धारित शुल्क 8100 रुपए लेगा। जिसमें सभी कार्य सम्मिलित है। इसका उद्देश्य आवेदकों के लिए कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल करना है। उपभोक्ताओं को अब ऑनलाइन आवेदन ही करना चाहिए।

(रा.प., 25.07.25)

बिना काम 50 करोड़ का भुगतान

कांग्रेस सरकार के समय जल जीवन मिशन में जयपुर, अलवर, नीम का थाना सहित पांच जिलों की फर्मों को बिना कार्य किए 50 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इसकी गहराई से जांच की जा रही है। इस मामले में फंसे अभियंताओं पर कार्रवाई को लेकर विभाग सख्त है।

अलवर एनसीआर के अधिशासी अभियंता खंड द्वितीय नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र नहीं भेजने पर मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण) आरके मीणा को संयुक्त शासन सचिव प्रवीण कुमार लेखरा ने चेतावनी देते हुए पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि फर्मों को बिना काम भुगतान करने वाले अधिशासी अभियंता नरेंद्र गुप्ता 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में समय रहते कार्रवाई जरूरी है। समय रहते आरोप पत्र नहीं भेजा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्य अभियंता की होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

(रा.प., 26.09.25)

भू-जल स्तर बढ़ाने की तैयारी

जयपुर में द्रव्यवती नदी के जिन इलाकों में भू-जल स्तर गिर रहा है, वहां जेडीए ने भू-जल बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए 25 वाटर रिचार्ज सिस्टम विकसित करने जा रहा है। इनके जरिए पानी को जमीन में भेजा जाएगा। जमीन में वर्ष भर जाए, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी लिया जाएगा।

गुलाबी नगर में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। इसको बनाने में करीब दो करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिकायत के बाद जेडीए ने जब सर्वे कराया जो सामने आया कि सांगानेर क्षेत्र में पांच साल में 100 से अधिक कुएं सूख गए हैं। इस रिपोर्ट में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनवाने का सुझाव दिया है। इसके बाद जेडीए ने कवायद शुरू की है। नदी किनारे जो प्लांट हैं, वे उच्च तकनीक के हैं। जमीन में जाने वाले पानी की अब क्वालिटी भी बेहतर होगी। *(रा.प., 24.08.25)*

पानी सहेजने को बन रहे हैं अमृत सरोवर

देश में ग्रामीण विकास को मजबूती देने और जल की हर बूंद को सहेजने के लिए मिशन अमृत सरोवर योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अब तक इस मिशन के तहत देशभर में अक्टूबर 2024 तक 68 हजार से अधिक जलाशयों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 16,630 अमृत सरोवर बने हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 5,839, कर्नाटक में 4,056 और राजस्थान में 3,138 सरोवर तैयार किए गए हैं। इस मिशन से जल संकट को कम करने में मदद मिली है। साथ ही सतही व भूजल की उपलब्धता बढ़ी है। प्रदेश में योजना को जन सहयोग से भी लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। *(रा.प., 17.07.25)*

बिना अनुमति नहीं खोद सकेंगे बोरवेल-ट्यूबवैल

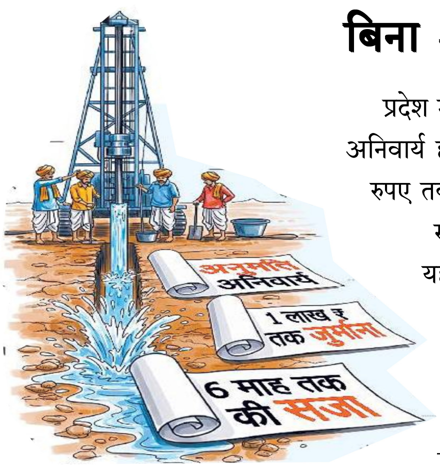

प्रदेश में औद्योगिक -वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोरवेल-ट्यूबवैल की खुदाई से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति नहीं लेने पर 50 हजार रुपए जुर्माना होगा और इसकी पुनरावृत्ति पर एक लाख रुपए तक जुर्माना और छह माह तक सजा हो सकेगी।

राज्य विधानसभा में पारित राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 में यह प्रावधान किया गया है। इसके लिए करीब दो दशक से प्रयास चल रहे थे। विधेयक में औद्योगिक-वाणिज्यिक उपयोग पर सख्ती रहेगी लेकिन घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को छूट दी गई है। बिना अनुमति नई भू-जल निकासी संरचना के निर्माण के लिए ड्रिल/खुदाई, अतिदोहन आदि पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। *(रा.प., 11.09.25)*

सब कहते हैं पानी-पानी ! पर क्या इसकी कीमत जानी !!

आदिवासी महिला भी संपत्ति में बराबर की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि आदिवासी समुदाय की महिलाएं और उनके कानूनी वारिस भी पुश्तैनी संपत्ति में बराबर के हकदार हैं। कोर्ट ने इसे लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बैंच ने कहा कि महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति से वंचित करना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन भी करता है। कोर्ट ने पुरुष वारिसों को ही संपत्ति देने को गलत बताया और कहा कि महिलाओं को संपत्ति से वंचित करना भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में जब समानता की दिशा में कई कदम उठाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि यह फैसला दहिया नाम की महिला की याचिका पर दिया गया है, जिसे निचली अदालतों ने खारिज कर दिया था।

(दै.भा., 18.07.25)

कैसे रुके शिशु व मां की मौत

प्रदेश में सालाना 20 लाख से अधिक बच्चों का जन्म होता है। लेकिन हर तीसरे प्रसव में शिशु का जन्म अप्रशिक्षित हाथों में हो रहा है। इनमें हर साल 25 से 30 हजार बच्चे या जो मृत्य जन्म ले रहे हैं या चलने से पहले ही जीवन गंवा रहे हैं। अस्पताल में प्रसव नहीं होने से शिशु या मां को खतरा रहता है।

उधर, एक खामी यह भी रही है कि अस्पताल में बच्चे के डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलने से कुछ लोग घर पर ही प्रसव बताकर दूसरा जन्म पत्र बनवा रहे हैं। गांवों में ऐसा ज्यादा हो रहा है। सांख्यिकी निदेशालय की जन्म-मृत्यु पंजीयन की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार गांवों में 9.60 लाख से ज्यादा जन्म में से करीब 3.97 लाख ही 21 दिन में दर्ज हो रहे हैं और पांच लाख से भी अधिक जन्म एक साल में भी दर्ज नहीं हो रहे।

(रा.प., 25.08.25)

ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा ऋण

प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को डेढ़ फीसदी सालाना दर पर 40 हजार रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इसके लिए राजस्थान महिला निधि योजना को नेशनल को-ऑपरेटिव डवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3 हजार करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त हुई है।

योजना के तहत सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें निराश्रित, गरीब और वंचित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी कार्यवाही होने से प्रक्रिया बेहद सरल है। यह राशि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन, छोटे कारोबार और सामाजिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(दै.भा., 17.09.25)

परिवार नियोजन महिलाओं के जिम्मे

राजस्थान सहित देशभर में परिवार नियोजन का जिम्मा अभी भी महिलाओं के भरोसे है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 और राज्य स्वास्थ्य विभाग आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2024 के बीच राजस्थान में जहां 8 लाख 50 हजार 500 महिलाओं ने नसबन्दी करवाई, वहीं पुरुषों की संख्या सिर्फ 10 हजार 100 रही।

यानी पांच वर्षों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भागीदारी महज 1.1 प्रतिशत रही। विश्व जनसंख्या दिवस पर यह सवाल गंभीर है कि जनसंख्या नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर क्यों हों? जब तक पुरुषों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तब तक यह बोझ असंतुलित बना रहेगा। गौरतलब यह है कि इसका महिला स्वास्थ्य पर गहरा बोझ बढ़ गया है। यह दर्शाता है कि महिलाओं को न केवल सामाजिक बल्कि स्वास्थ्य संबधित जिम्मेदारियों का भी अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है।

(रा.प., 11.07.25)

नारी शक्ति की बुलंद परवाज

भारत में महिलाओं की रोजगार दर पिछले 7 सालों में लगभग दोगुनी हो गई है। वर्ष 2017-18 में जहां महिलाओं की रोजगार दर 22% के करीब थी, जो 2023-24 में बढ़कर 40.3% हो गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान महिलाओं में बेराजगारी की दर भी 5.6% से घटकर 3.2% रह गई है।

मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी 70% तक पहुंचाना एक प्रमुख लक्ष्य है। पीएलएफएस के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की रोजगार दर में 96% की वृद्धि हुई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि 43% रही। पढ़ी-लिखी महिलाओं की रोजगार दर में काफी सुधार सामने आया है। स्टार्टअप इंडिया में भी उनकी भागीदारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

(रा.प., 26.08.25)

युवा उद्यमी शुरू करें खुद का कारोबार

विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत खुद का कारोबार शुरू करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंकों से ऋण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना में राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार 8% तक सब्सिडी दी जाती है।

योजना में महिलाओं, दिव्यांगों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। इन्हें 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच लोन लेने पर 1% की अलग से ब्याज में छूट मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले बुनकर व अन्य कलाकारों को भी यह सब्सिडी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के उद्यमी भी नियमानुसार 2 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं।

(दै.भा., 23.09.25)

देश में हर घंटे 20 लोग गंवा रहे जान

देश में सड़कों पर हादसे बढ़ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023' की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर घंटे 55 हादसों में 20 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। साल 2023 में सड़क हादसों की संख्या 4.2% बढ़कर 4,80,583 हो गई।

इन सड़क हादसों में 1,72,890 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा सड़क हादसों और मौतों की वजह ओवरस्पीड रही, जो कुल हादसों का 72% है। राजस्थान की बात करें तो 2023 में 24,694 हादसों में 11,400 लोगों की जान गई। यह देश के कुल हादसों का 8 प्रतिशत है। इन हादसों का बड़ा कारण ओवर टेकिंग, तेज रफ्तार और हाइवे पर सुरक्षा की कमी रही। *(रा.प., 31.08.25)*

सड़क हादसों पर नहीं लगा ब्रेक

राजधानी जयपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल में जनवरी से मई तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाहन चालकों में जागरूकता की कमी इसकी खास वजह है।

वर्ष 2023 में जनवरी से मई तक 1181 सड़क हादसे दर्ज हुए, जिनमें 966 लोग घायल हुए और 340 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह वर्ष 2024 में जनवरी से मई तक 1319 सड़क हादसे दर्ज हुए थे, जिनमें 1080 लोग घायल हुए और 355 लोगों की जान चली गई थी। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मई तक 1312 सड़क हादसे दर्ज हुए हैं, जिनमें 1165 लोग घायल हुए और 355 लोगों की जान चली गई। इससे स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपाय जमीन पर कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करना इसका मुख्य कारण रहा है।

(रा.प., 14.07.25)

हाइवे जो बना मौत की फिसलपट्टी

जयपुर राजधानी के नजदीक एक ऐसा हाइवे है, जहां रोजाना सड़क हादसे जिंदगियां लील रहे हैं। एनएच-148 पर हुई दुर्घटनाओं ने कई परिवारों को खत्म कर दिया। किसी घर का चिराग बुझ गया तो किसी का सहारा छिन गया। हर हादसे के बाद प्रशासन चिंता जताता है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।

पिछले साढ़े चार साल में यहां 352 सड़क दुर्घटनाओं में 267 लोगों की मौत हो गई और 359 लोग घायल हो गए। लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। दो लेन की जगह चार लेन हाइवे बनाने की डीपीआर जरूर तैयार हुई, परंतु काम की चाल कछुआ चाल से भी धीमी है। सुरक्षा इंतजाम के अभाव में यह सवाल उठता है कि आगे कितनी और बलि चढ़ेगी। *(रा.प., 05.09.25)*

महंगा पड़ेगा बिना बीमा वाहन चलाना

वाहन चालक मोटर इंश्योरेंस पालिसी लैप्स हो जाने के बाद भी वाहन लेकर सड़क पर निकल जाते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिना बीमा वाले वाहनों के लिए कई कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं।

इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर भारी-भरकम जुर्माना लगेगा। नए नियम के अनुसार, पहली बार बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर इंश्योरेंस के बेस प्रीमियम का तीन गुना जुर्माना लगेगा। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर यह जुर्माना पांच गुना हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन बदलावों का प्रस्ताव अन्य सरकारी विभागों या संबंधित मंत्रालयों को राय के लिए भिजवाया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। *(रा.प., 05.08.25)*

आमजन बन सकेंगे ट्रैफिक मार्शल

शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत अब आम नागरिक भी ट्रैफिक संचालन में सक्रिय भागीदार बनेंगे। ट्रैफिक पुलिस 'ट्रैफिक मार्शल' तैयार करने जा रही है। जिसमें योग्य नागरिकों को ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।

इससे शहर की मुख्य सड़कों, स्कूल-कॉलेजों के आसपास और भीड़भाड़ वाले बाजारों में ट्रैफिक संचालन में आम लोगों कीइ भागीदारी दिखेगी। रोज काम में मदद करने पर उन्हें राज्य स्तर, पुलिस कार्यक्रम में सम्मान मिलेगा। इस पहल में आमजन जुड़कर न्यूनतम 1 व अधिकतम 3 घंटे ट्रैफिक मार्शल के रूप में मदद कर सकेंगे। 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वैध दस्तावेजों के साथ इस योजना के लिए आवेदन कर सकेगा। माना जा रहा है जनता की सीधी भागीदारी से ट्रैफिक व्यवस्था और ज्यादा प्रभावी हो सकेगी। *(दै.भा., 14.09.25)*

तेज रफ्तार : एक चालक...104 चालान

प्रदेश की राजधानी 'गुलाबी नगर' के किसी चौराहे या खाली सड़क पर यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ कर खुश हो रहे हैं तो जरा ठहरिए। पुलिस अब तीसरी आंख (कैमरों) के जरिए आप पर नजर रख रही है। इतना ही नहीं चालक की पहचान कर उसका चालान भी काटा जा रहा है।

राजधानी में एक चालक को कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ते देखा तो उसके 104 चालान हुए और 1.34 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से उसने 52 हजार रुपए जमा करा दिए हैं और अभी 82 हजार रुपए जमा कराना बाकी है। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर न्यायालय भी सख्त है। जो व्यक्ति न्यायालय के आदेश के बाद भी जुर्माना राशि नहीं जमा कराएंगे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वांरट भी जारी होगा। इसलिए वाहन चालक नियमों से ही वाहन चलाएं। *(रा.प., 15.09.25)*

उपभोक्ता फैसले

परीक्षार्थी महिला को बस में सीट नहीं दी, रोडवेज पर लगाया हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में ममता कुमारी सैनी ने रोडवेज, जयपुर आगार के मुख्य प्रबंधक व रोडवेज चेयरमैन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उनके अधिवक्ता ने बताया कि स्कूल लेक्चरार भर्ती-2018 की 3 जनवरी 2020 को होने वाली परीक्षा में परिवादिया को बीकानेर में सेंटर आवंटित था। परीक्षा के एक दिन पहले उसने बीकानेर जाने के लिए रोडवेज में खुद व अपने पति का ऑनलाइन टिकट लिया। उन्हें सीट नं. 45 व 46 आवंटित की गई। उनकी बस सुबह 11.40 बजे थी। वह पति के साथ 11 बजे सिंधीकैंप बस स्टैंड पहुंच कर बस में चढ़ी तो पता चला उसमें 40 सीट ही है। टिकट विंडों पर इंचार्ज ने उन्हें मौजूदा व अगली बस में सीट देने से मना कर, उसे टिकट कैंसिल कराने को कहा। उन्हें वैकल्पिक बस भी उपलब्ध नहीं कराई। मजबूरी में उन्होंने तत्काल रेल सेवा में टिकट लिया और ट्रैन से देर रात बीकानेर पहुंचे। इसमें उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ी।

उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई पर दोनों पक्षों को सुनकर रोडवेज प्रबंधन का गंभीर सेवादोष माना। आयोग ने रोडवेज प्रबंधन पर 61 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही परिवादीगण को ऑनलाइन टिकट की राशि 574 रुपए भी वापस देने का निर्देश दिया है। *(दै.भा.,01.08.25)*

बदलना होगा खराब मोबाइल, साथ ही देना होगा मुआवजा

जिला उपभोक्ता आयोग, जोधपुर-द्वितीय में सिटी होम्स निवासी भजनलाल ने रतनाड़ा स्थित डीलर कृष्णा मोबाइल व संबंधित कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार उपभोक्ता भजनलाल ने डीलर कृष्णा मोबाइल से सैमसंग ए50 मोबाइल 20 हजार रुपए में खरीदा। उनके मुताबिक उन्हें बेचा गया मोबाइल सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और वांछित गुणवत्ता का नहीं निकला। डीलर, कंपनी और सर्विस सेंटर में शिकायत करने के बाद भी संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। मोबाइल की कीमत और मुआवजे की मांग करते हुए उन्होंने उपभोक्ता अदालत में परिवाद दर्ज कराया।

उपभोक्ता आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा गया कि बेचा गया मोबाइल दोषरहित था। आयोग ने मामले से संबंधित सभी प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रमाणों का परीक्षण किया और पाया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा उपभोक्ता को अपेक्षित सेवा नहीं दी गई। अतः विक्रेता व अन्य अपने उत्तरदायित्वों से नहीं बच सकते। उपभोक्ता आयोग ने वादी भजनलाल को नया मोबाइल देने और साथ ही उन्हें हुई मानसिक-पीडा के बदले 15,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए। *(दै.भा., 25.09.25)*

संपत्ति खरीदेंगे तो पैन-आधार का सत्यापन होगा जरूरी

देश में संपत्ति खरीद और उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बैनामे से पहले आधार और पैन नंबर का सत्यापन अनिवार्य करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने इसके लिए नए पंजीकरण विधेयक-2025 का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में हर संपत्ति खरीद के लिए स्टाम्प लेते समय ओटीपी आधारित सत्यापन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे हर छोटी-बड़ी संपत्ति खरीद का ब्योरा आयकर विभाग के पास जाएगा।

नई व्यवस्था से प्रॉपट्री (जमीन-मकान) खरीदने और बेचने वाले का पूरा रेकॉर्ड आयकर विभाग के पास होगा। मसौदे के अनुसार लोग घर बैठे डिजिटल तरीके से अपने दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकेंगे। इससे लोगों को कई स्तरों पर सहूलियत मिल सकेगी। विक्रय अनुबंध (सेल डीड) पावर ऑफ अटॉर्नी न्यायालय की ओर से जारी विक्रय प्रमाण-पत्र आदि का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत पंजीकरण अधिकारी को स्पष्ट अधिकार और नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन अस्वीकार करने की शक्ति मिलेगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आयकर विभाग का एआई आधारित सिस्टम यह विश्लेषण करेगा कि खरीदने वाला व्यक्ति कौन है? इससे संदिग्ध मामलों को पकड़ने और जल्द निपटाने में मदद मिलेगी।

(रा.प., 31.07.25)

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)